

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 18 अंक 124

अतिरिक्त नकदी का प्रबंधन

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की स्थिति विगत कुछ तिमाहियों में तेजी से बदली है। वर्ष 2024 के अंत में जहां बैंकिंग व्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये की कमी थी वहीं अब 3 लाख करोड़ रुपये प्रति दिन के अधिशेष की स्थिति में है और यह राशि कुल दिनों में बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। कई बार केवल बैंक व्यवस्था को जानबूझकर कमी या अधिशेष की स्थिति में रखते हैं ताकि मौद्रिक नीति संबंधी लक्ष्यों को हासिल किया जा सके, परंतु किसी भी तरह की अति के अनुरोध परिणाम सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को हाल की तिमाहियों में नकदी की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। इसकी एक वजह रुपये के समर्थन के लिए मुद्रा बाजार में उसके द्वारा किया गया हस्तक्षेप भी रही। इससे बाजार में व्याज दरें बढ़ीं। बहरहाल, रुपये पर दबाव कम होने पर हालात बदले और मुद्रास्फीति संबंधी हालात अनुकूल हो गए।

जैसा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के 6 जून को मौद्रिक नीति के जवाब के वक्तव्य में कहा गया, केंद्र्रीय बैंक ने जनवरी से 9.5 लाख करोड़ रुपये की टिकाऊ नकदी व्यवस्था में डाली। केंद्र्रीय बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में भी 100 आधार अंकों की कमी करने का भी निर्णय लिया जिसे चार टुकड़ों में लागू किया जा रहा है। इससे व्यवस्था में 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य को टिकाऊ नकदी आया। वहीं वजह है कि कुछ अर्थशास्त्र मानते हैं कि व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी इस वर्ष 5 लाख करोड़ रुपये तक जा सकती है। नकदी की कमी से मुद्रा बाजार की दरें बढ़ती हैं और आम तौर पर खजाने दरों में भी इजाजत होता है। ऐसे में अधिशेष नकदी का विपरीत प्रभाव होता है। व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी से मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम बढ़ते हैं। हालांकि निम्नलिखित षष्ठिय में भारत मुद्रास्फीति के मोर्चे पर सख्त स्थिति में है लेकिन अतिरिक्त नकदी परिसंपत्ति मूल्य मुद्रास्फीति में इजाफा कर सकती है। उदाहरण के लिए बैंक ने अन्य दरों के साथ बचत खातों में कटौती की है जिससे बचतकर्ता अपने फंड बेहतर योद्धा वाली परिसंपत्तियों में लगा सकते हैं।

अतिरिक्त नकदी बैंकिंग व्यवस्था को कम दरों पर ख़र्च देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। जैसा कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट दिखाती है, कई बाजार प्रतिभागी इस मस्ये चर्चित रह गए जब एक सरकारी उपक्रम को केवल 6.1 फीसदी दर पर 1,000 करोड़ रुपये का ख़र्च दिया गया। यह लगभग फंड की लागत के ही बराबर है। फंड को सख्त उपलब्धता कुछ बैंकों को ऐसी संस्थाओं को ख़र्च देने को प्रेरित कर सकती है जो अयोग्य हैं। बहरहाल, यह ध्यान देने लायक है कि कम नीतिगत दर या अतिरिक्त नकदी शापद बैंक ख़र्च को बढ़ावा दे न और उसकी कई वजह हो सकती हैं।

विवेक स्तर पर अहम निष्पत्तिया व्याप्त है जो निजी क्षेत्र के निवेश निर्णयों पर असर डालेंगी। इतना ही नहीं कंपनियों पूंजी बाजार से और अधिक फंड जुटा रही हैं। जैसा कि रिजर्व बैंक की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिखाती है, पूंजी बाजार से जुटाए जाने वाले संसाधन 2024-25 में 32.9 फीसदी बढ़े हैं और डेट के क्षेत्र में इनमें 60 फीसदी का उन्नाह आया। इस वर्ष सर्वाधिक कॉर्पोरेट बैंड जारी किए गए निष्पत्तियों में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। डेट बाजार में महसूस बढ़ने के साथ ही उच्च दर वाले निष्पत्तियों को डेट बाजार से फंड जुटाना अधिक आसान लगना बजाय कि बैंकिंग व्यवस्था है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा बैंकिंग व्यवस्था में शुद्ध मार्जिन पर असर डालेंगी।

नकदी प्रबंधन के संदर्भ में जहां रिजर्व बैंक परिवर्तनीय दर विवरण रीपो वॉलेट डीएस कालंद दर भी नीतिगत दर से काफी नीचे है। रिजर्व बैंक अपने हालिया नीतिगत फैसलों के प्रसार को सक्षम बनाने के लिए कुशलमय तरा चीजों को इसी प्रकार बनाए रखने का इरादा रख सकता है। यद्यपि उते प्रणाली में अतिरिक्त नकदी के प्रबंधन के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। खासकर जब सीआरआर में कमी के कारण और अधिक नकदी जारी होने की उम्मीद है। उसे बाजार को यह भी बताना चाहिए कि वह अतिरिक्त नकदी को किस स्तर पर बनाए रखना चाहता है।



राष्ट्रीयकरण के तीन उदाहरणों के सबक

बीते कुछ सालों में स्टेट बैंक, एलआईसी और एयर इंडिया के साथ हमारी सरकारों के बरताव में कुछ सबक छिपे हुए हैं, जिनसे सीख ली जा सकती है। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

करीब सात दशक पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने तीन प्रमुख संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया था। उनमें से एक भारतीय स्टेट बैंक इस महोत्सव अपने पुनर्जन्म वाली राष्ट्रीयकरण की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है और दूसरे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के राष्ट्रीयकरण के 70 वर्ष 2026 में पूरे हो जाएंगे। तीसरे संस्थान के भारतीय स्टेट बैंक की 70वीं वर्षगांठ दो साल पहले ही हो जाती मगर जो नहीं सकी क्योंकि उसने एक साल पहले ही उसका निजीकरण कर दिया गया। वह संस्थान है एयर इंडिया।

इन तीनों उपक्रमों का सात दशकों का सफर एक दूसरे से अलग रहा और इन बताते हैं कि आर्थिक संस्थानों के स्वाभिव्यक्त के बारे में देश को सरकारों का रुख कैसा रहा है और उनके स्वाभिव्यक्त का भविष्य कैसे तय होता है। ऐसे प्रमुख कारकों पर नजर डालते हैं।

तीनों संस्थानों में एक जैसी बात यह है कि तीनों सेवा क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे। एक

विमानन सेवा दे रहा था, दूसरा बैंकिंग और तीसरा जीवन बीमा की सेवा। लोगों की जिंदगी पर इनका जैसा असर होता है, वैसा कई बड़ी औद्योगिक और विनिर्माण कंपनियों का भी नहीं होता। इनके स्वाभिव्यक्त पर सरकार का रुख शापद इसी समझ के कारण था। नेहरू के राष्ट्रीयकरण में सेवा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों पर ज्यादा जोर दिया गया था, जबकि उनकी पुत्री इंडिया गार्मेंट ने बैंकों और सामान्य वस्त्रों निर्माण के साथ कार्य और कोयले जैसे औद्योगिक एयर खनन क्षेत्र को कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण किया।

अतित में शांति तो इंग्लिश बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने और उसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक करने की रणनीति कारगर रही। फिलहाल सात दशक में स्टेट बैंक मजबूत बना है और देश का सबसे बड़ा वित्तीय बैंक भी बना रहा है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो स्टेट बैंक ने कई मुश्किलों से निपटने और शासन के लक्ष्य हासिल करने में सरकारों की मदद की है। उसने 1962 में चीन के साथ युद्ध के

अहम भूमिका निभानी चाहिए? या नियामक भारतीय रिजर्व बैंक को उसके साथ भी दूसरे बैंकों को तरह बरताव करने देना चाहिए? सरकार और नियामक के बीच इस पर विवाद चलता रहा।

स्टेट बैंक की 57 फीसदी हिस्सेदारी सरकार और बाकी जनता के पास है, इसलिए इसके निजीकरण या और विनिर्देश के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। देश का शीर्ष बैंक होने के नाते इसे अहम संयुक्ति माना जाता है और सभी सरकारों ने इसे सरकारी उपक्रम रखने दिया है। इसमें शापद ही किसी को शक हो कि स्टेट बैंक के स्वाभिव्यक्त का बांचा ऐसा ही रहेगा। देश को सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के राष्ट्रीयकरण को जनवरी 2026 में 70 साल पूरे हो जाएंगे। नेहरू सरकार ने 1956 में एक अध्यादेश लाकर 245 भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया और सभी को मिलकर एक कंपनी एलआईसी बना दी। सरकार ने वह क़दम फैसले को सही ठहराया कि इस क्षेत्र में प्रभुतावर बहुत था और लोगों को जीवन बीमा देने में विश्वविश्व हो रहा था।

तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने आकाशवाणी पर घोषणा के ज़रिये लोगों को बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण और एलआईसी के गुटन की जानकारी दी। 1999 में निजी कंपनियों को जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश दिया गया मगर उससे पहले 40 साल तक एलआईसी का ही इस पर एकाधिकार रहा। निजी कंपनियों के आने के बाद भी एलआईसी अत्यंत नंबर की बीमा कंपनी बनी हुई है।

सरकार ने 2022 में अर्थविक्रम सार्वजनिक निगम लाकर एलआईसी की 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। उसी साल 20 फीसदी तक हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों को बेचने का अधिकार है मगर अब तक इस में से 0.5 फीसदी भी नहीं बेची हुई है। सरकार के पास अत्यंत कुशल सार्वजनिक हिस्सेदारी 96.5 फीसदी से घटकर 50 फीसदी पर लाने की गुंजाइश है मगर विनिर्देश पर ठंडी प्रतिक्रिया और सरकारी संसाधनों की हालत देखते हुए ऐसा होना मुश्किल ही लग रहा है। एलआईसी मुनाफे में है और देश में

डिजिटल भुगतान से आर्थिक सशक्तीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने जून के आखिरी हफ्ते में आधार के ज़रिये भुगतान प्रणाली (एफपीएस) को मजबूत करने के दिशानिर्देश जारी किए। हम सब यूपीआई (यूनिफाइड फ़ैसट्रिब्यूटिड ट्रांज़ेक्शंस) को जो जानते हैं मगर एफपीएस क्या है? यह यूपीआई का बड़ा भाई है, जिसे केंद्र सरकार यूपीआई से पांच साल पहले 2011 में लाई थी। बैंक के ज़रिये चलने वाले इस मोडल में आधार क्रयों परकर ऑनलाइन लेनदेन या मास्कार्ड/एटीएम टर्मिनल पर लेनदेन किया जा सकता है।

यूपीआई में मोबाइल फोन के ज़रिये किसी भी व्यक्ति या वित्तीय संस्थान से पैसे का तत्काल लेनदेन किया जा सकता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने तैयार किया था और इसमें एक ही मोबाइल एप्लिकेशन पर कई बैंक खाते जोड़े जा सकते हैं। यूपीआई और एफपीएस ने देश में भुगतान का तबका पूरी तरह बदल दिया है। यूपीआई शहरों में बहुत लोकप्रिय है तो एफपीएस गांव-कस्बों में ज्यादा प्रचलित है। मई 2025 में यूपीआई पर 1,868 करोड़ लेनदेन में 25.14 लाख करोड़ रुपये का आय-प्रदान हुआ। उसी महीने एफपीएस पर 2.87 लाख करोड़ रुपये के 10.5 करोड़ लेनदेन हुए। अगर शेष रकम की जांच, मिनी स्टेटमेंट जैसे री-वैरिफिकेशन भी जोड़ें तो एफपीएस पर 20.8 करोड़ से अधिक लेनदेन करेंगे।

एनपीसीआई के ही एफपीएस के ज़रिये आधार क्रयों और अग्रेड को छाप आदि की मदद से नकद निष्कासी, नकद व्याप, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजना, मिनी स्टेटमेंट निकालना, खते में बची रकम पाने की जैसा काम हो सकता है। लेकिन यहां धोखाधड़ी को फिंता खड़ी हो गई है, जो ग्राहक की पहचान और जानकारी चुनकर उसे वित्तीय चपल लाता देते हैं। जुलाई 2023 में राज्य सभा में 'एफपीएस के ज़रिये लेनदेन और वित्तीय धोखाधड़ी' से जुड़े एक सवाल पर वित्त मंत्री ने बताया था कि जनवरी 2019 से मई 2023 के बीच इस

10,247 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, जिसमें से 585.79 करोड़ रुपये धोखाधड़ी में गड़बड़ किए। एफपीएस को सुदृष्टि बनाने के लिए एनपीसीआई ने धोखाधड़ी के जोखिम से बचने वाली प्रणाली तैयार की है, जो धोखाधड़ी को हर तुरंत ग्राहक की शिकायत का एसे करीब 2 लाख बीस करोड़ कर रहे हैं। अभी तक समाधान नहीं है। यह प्रणाली बैंकों को मुक्त दी जा रही है।

रिजर्व बैंक एफपीएस ट्रेडरों/ऑपरेटर्स को जोड़ने की प्रक्रिया दूसरे तरफ धोखाधड़ी से बचने को प्रणाली मजबूत करना चाहता है। लेनदेन में कबूतर और एटीओ शामिल रहते हैं। इसलिए एटीओ बैंक खाता है कि बैंक एफपीएस के लिए एटीओ को स्टेट बैंक से पहले पूरी जांच करें और उनका केवाईसी ब्योरा समय-समय पर अपडेट करना। एफपीएस तो तैयार होने तक निष्क्रिय रहे तो बैंक को उनका केवाईसी फिर अपडेट करना होगा। लेनदेन निगमों प्रणाली के ज़रिये बैंकों को एटीओ की गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखनी होती है और उनको कारोबार से जुड़े जोखिमों के तत्वाविक पैमाने तैयार करने होते हैं। इनके आधारों का हैं और किन्तान लेनदेन कर रहे हैं, इसका पूरा ओंकाई बैंक के पास होना चाहिए और जालसाजी में बैंक निगरानी से निपटने के लिए उसे एटीओ के वास्तु पैमाने भी बदलना होगा।

लेनदेन में कारोपरेट बिजनेस करिस्पोंडेंट्स को कारोपरेट बीसी भी होते हैं, एटीओ और बैंक के बीच की कड़ी बनते हैं। इनके बारे में रिजर्व बैंक ने कुछ भी नहीं कहा है। एटीओ को पुरालाई बैंक को लेनदेन होती है। केंद्रीय बैंक को कारोपरेट बीसी के लिए भी कवरेज बनाने चाहिए। अभी करीब 23 लाख एटीओ और

रकम जमा करने की इजाजत भी देनी चाहिए। रिजर्व बैंक पेमेंट ऑथॉरिटी के लिए भी जरूरी बताया रहा है, जो ग्राहकों, कारोबार तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ इंटरफैसिबिलिटी के तौर पर काम करते हैं और कारोबारियों को ऑनलाइन भुगतान लेने की सुविधा देते हैं। उसने 32 पेमेंट ऑथॉरिटी को काम करने की इजाजत दी है। रिजर्व बैंक उन्हें और कारोबार बनाने के मकसद से ब्यूआर के डेट के ज़रिये ग्राहक के लिए रकम निकालने की इजाजत दे सकता है। ऐसे में एग्रीगेटर माइक्रो एटीएम की तरह काम कर सकते हैं।

अब हम इस बात पर है कि प्रोडेंट पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कुछ बैंकों, एक स्मॉल फ़ायनर्स बैंक, एक बड़ी री बैंकिंग वित्तीय कंपनी और एनेजिन ए. मोबिलिटी क्लिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड, स्वाइस मनी लिमिटेड, पाइन लैन्स प्राइवेट लिमिटेड समेत ऐसे करीब 50 ऑपरेटर हैं। ये ग्राहकों को मोबाइल वॉलेट और प्रोडेंट काड ऑफि देते हैं। ग्राहक वॉलेट 2 लाख रुपये तक रख सकता है, महीने में 50,000 रुपये का नकद लेनदेन कर सकता है और हर महीने 10,000 रुपये वॉलेट भी सकता है। भारत क्लिस्ट पेमेंट सिस्टम ने हाल ही में कलिका बॉलेट वॉलेट में क्रेडिट काड से पैसे डाले गए तो उनका इस्तेमाल कर चुकने में नहीं किया जा सकता। भारत क्लिस्ट पेमेंट सिस्टम को एनपीसीआई की सहायक कंपनी भारत क्लिस्ट लिमिटेड चलाती है। एक क्रेडिट काड से पैसे निकालकर दूसरे क्रेडिट काड का क्लिस्ट नहीं चुकाया जा सकता। मगर पान कैसे चलना कि पैसे क्रेडिट काड से अया है? मेरे दिमाग से पीपीआई वॉलेट में रखी रकम से कर्ज चुकाने का चाहिए। लंबे समय से बकाया क्लिस्ट बेशक नहीं चुकाने दी जाकर मगर छोटे कर्जदारों को पीपीआई वॉलेट से क्लिस्ट चुकाने की राई तो माइक्रोफ़ायनर्स उद्योग के लिए इकट्ठी करने की लगान बहुत पड़ जाएगी। साथ ही वित्तीय समावेशन और आर्थिक सामाजिकरण में डिजिटल भुगतान प्रणालियों का योगदान भी बड़ जाएगा।

(लेखक राज साहू प्रफ़ेसर बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

बहुती जनसंख्या कई समस्याओं की जड़

जनसंख्या बढ़ने से होने वाली समस्याओं के प्रति लोगों की जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए वर्ष 1989 में इसे मनाने की शुरुआत की थी। हमारा देश विकास और कई अन्य अछे कार्यों में विश्व में शीर्ष पर है और लगातार अपने भी बढ़ रहा है। मगर जनसंख्या के लिहाज से भी हमारा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम (यूएनएफपीए) की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के पॉपुलेशन डिविजन ने न वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2019 में एक रिपोर्ट से खुलासा किया है कि



जनसंख्या के कारण होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है

अगले 30 वर्षों में विश्व की जनसंख्या दो अरब तक बढ़ने की संभावना है, लेकिन भारत सरकार और देश के नागरिक देश को बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए गंभीरता दिखाए तो भारत

जनसंख्या वृद्धि के मामले में आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ समय पहले नकली खान-बीजों की वजह से देश के किसान सालों से परेशान हो रहे हैं। इससे उनकी फसलों परभाव होती आ रही है। खराब बीजों के

में यह भी जानकारी दी गई कि जन्म लेने वाले इन बच्चों में से अकेले 69,944 बच्चे भारत में पैदा हुए और भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पहले स्थान पर रहा। उसके बाद 44,940 बच्चों की जन्म के बच्चा चीन का स्थान रहा। बहुती आबादी ने देश में बहुत-सी समस्याओं को जन्म दिया है। अब समय आ चुका है कि सरकार देश में बहुती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए गंभीरता दिखाए हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर इसे गंभीरता से लागू करे।

राजेश कुमार चौधरी, जालंधर

नकली बीज माफिया पर कठोर कार्रवाई आवश्यक नकली खान-बीजों की वजह से देश के किसान सालों से परेशान हो रहे हैं। इससे उनकी फसलों परभाव होती आ रही है। खराब बीजों के

कारण जोआई बेकार चली जाती है। कई बार तो प्राविधिक किसानों के पास इतना समय भी नहीं बचता है कि वे दोबारा बीज का सके। हालांकि, नकली बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की गड़बड़ी पर अंशुख लगाने के लिए बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968, बीज (नियंत्रण) अधिनियम, 1985, कीटनाशक अधिनियम, 1964, कीटनाशक नियम, 1971 और उर्वरक अधिनियम, 1985 में विभिन्न संशोधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, राज्यों के राज्य बीज विभाग अपने-अपने राज्य में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति भी करता है। यदि बीज, उर्वरक और कीटनाशकों को गुणवत्ता घटिया साबित हो, तो कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन कठोर कार्रवाई के अभाव में माफिया बेबीफ सक्षम रहता है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

देव-दुनिया



केंद्रीय संघार मंत्री ज्योतिरिधिर सिधिया ने पुरकार को बंगलूर में विश्वेवरीया टेक्नोलॉजिकल युनिवर्सिटी के विश्वेवरीया रिसर्च एंड इन्वेंशन फाउंडेशन और टेक्नोलॉजि संदर ऑफ एक्सीलेंस हब एंड स्पोक संदर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया।

विचार नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | शुक्रवार, 11 जुलाई 2025

सुझाव पर अमल हो

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में वोट लिस्ट की समीक्षा से निकारने के बजाय, इस पर होना चाहिए की नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से यचित न रह जाए।



SIR पर सुप्रीम सुनवाई

के पीनर निवास प्रमाण पत्र के लिए दो लाख रुपये से ज्यादा अडेनशन आये हैं। कई जगह पर-चर जाकर Enumeration Forms भर दिये गये हैं। ऐसे में लोगों से कहा है कि वे आधारकार्ड की कॉपी ही जमा करा दें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से बेहतर है, आयोग बीच का रास्ता निकाले।

टाइमिंग पर सवाल। गोप अल्टिमेटम ने Special Inspection Revision यहाँ SIR पर गे तो नहीं लगाए, लेकिन टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह किन्तुलन चाहिये। बिहार में इस तरह के आखिर तक विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शराब उठाना बका न मिल पाए, जितना मिना चाहिए। बिहार में SIR को लेकर जो अमर्शन है, उसकी एक वजह टाइमिंग भी है। जिनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इजाजत नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरतीस दिलाया है कि किसी को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा।

नागरिकता पर फैसला नहीं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है और लोकतंत्र में सबसे आहम है लोक यात्री जनता। लेकिन, चुनाव आयोग की मौजूदा प्रक्रिया में जनता को ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। यह रिबिजन जुड़ा है वोट लिस्ट से, लेकिन मेसज जा रहा है कि इससे नागरिकता तय होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस दिशायी से राहत मिलेगी कि निर्वाचन आयोग का नागरिकता को कैसे लेना-देना नहीं है।

पूर्व देश पर अडर। यह मामला केवल बिहार तक सीमित रहने वाला नहीं है। दूसरे राज्यों में वोट लिस्ट की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में समाधानकी ही नजरें इस बात पर रखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है।

रोज-ब-रोज स्क्रीन टाइम

शैलेज़ पांडेय

साल 2010 में जब iPad लांच हुआ तो एक पत्रकार ने रटिय जैसा पूछा था, 'क्या आपके बच्चे इससे खूबरे हैं?' रटिया का जवाब था, 'हम इसे घर पर इस्तेमाल नहीं करते।' Walter Isaacson की किताब 'Steve Jobs: The Exclusive Biography' के जरिये एपल संस्थापक के पारिवारिक जीवन में झलकने का मौका मिलता है। यह किताब बताती है कि पूरी दुनिया का किस शुरुआत ने अपने गैजेट का दीवाना बनया, वह नहीं जानता या किस खूब उसके बच्चे इन चीजों को लत में पड़े। डिजिटल दुनिया पर जब पूरी परीक्षा सख बैठाता, तब केवल बातें होती थीं, कोई स्क्रीन नहीं। दूसरे अभिभावकों की तरह रटिय भी चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें, खेलें और आगे बढ़ें, लेकिन मोबाइल या किसी गैजेट से नहीं - किताबों से। और जब उन्होंने अपने बच्चों को iPad देने से मना किया, तब उनकी छोटी बेटी ईव की उम्र भी 12 बरस थी। उम्र का खास जिक्र इसलिए क्योंकि देश में हुई एक ख़ासिया रटिया बता रही है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे ऑनलाइन हर दिन 2.2 घंटे स्क्रीन देखते हैं, जितना टीना चाहिए उससे दोगुना। यहां तक कि जो टीस से कम के हैं, वे बच्चे भी औसतन 1.2 घंटे स्मार्टफोन या टीवी देख रहे हैं, जबकि उन्हें तो स्क्रीन के सामने होना ही नहीं चाहिए।

दो साल पहले, मई 2023 में अमरीका की एक संस्था ने 40 देशों में 18 से 24 साल के युवाओं पर एक रटिया की थी। हमारे भारत के भी लगभग 4000 युवाओं को शामिल किया गया था। यह वो पीढ़ी है, जो पिछले एक दशक में ही पढ़ी-बढ़ी। रटिया के नतीजे बताते हैं कि डिजिटली बचपन में मोबाइल सख ज्यादा समय बिताया था, उनसे दूसरों के प्रति आक्रामकता, आत्मतुल्य के विचार, यासकितनाओं को समझने में दिक्कत और असाहज जैसी परेशानियां ज्यादा हैं। 13-4 साल की उम्र से सोशल मीडिया से भी डिजिटली जुड़ा है। लेकिन अगर इस समय बच्चों के साथ स्क्रीन लगा जाए, तो उनका ध्यान उमर हाइपर्टें हो जाता है, और इसका असर दिखता है आगे चलकर। टेक्नीकी की दुनिया बदल कर रहा देखते काले रटिय इस बात की बाकी दुनिया से पहले ही समझ चुके थे।

एकदा प्रतिभा की सफलता

पेरिस का स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स ललित कला के अध्ययन का प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। 1870 के दशक में पाई प्रवेश के लिए कठिन परीक्षा होती थी। पीछे और मुश्किलता में पड़सिम लेने के पृथक्क विद्यार्थियों को दो दिन देर देना पड़ता था। पहले दिन उन्हें किसी मोडिफा का चित्र बनाने को कहा जाता। उसके लिए दो घंटे मिलते थे।

अगले दिन फिर 12 घंटे में उसी चित्र को मिट्टी में मूर्ति का आकार देना होता था। कला के साथ-साथ संस्कृति और सभ्यता की समझ भी चपन में मालवपूर्व मानी जाती थी। एक प्रतिभाशाली युवक तीन बार इस परीक्षा में बैठा और हर बार असफल रहा। कारण यह था कि उसकी कला उस समय की परिपरागत सोच से आगे की थी। एक अधुनिक दृष्टि,

जिसे उस दौर में समझ नहीं गयी। अपनी असफलता के बावजूद उसने हार नहीं मानी। आलोचिका के लिए उसने एक रटिया भी में सहायक की नौकरी कर ली, लेकिन अपनी कला की साधना नहीं छोड़ी। आखिरकार समय बदल और उसकी रचनाएं पचावनी जाने लगीं। यह कलाकार थे Auguste Rodin, जिनकी कृतियां 'The Thinker, The Three Shades, The Age of Bronze और Adam Again प्रशि प्रशि हैं। ऑर्डीन की कलाकी सख बात की मिसाल है कि सच्ची प्रतिभा को हार नहीं मानी, वह बका से लड़ती है, और आखिरकार सफल बनती है।

लेखक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

संपादक: हरिहरसाध राय

</

